राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षक सम्बन्धी प्रावधान एवं सम्भावनायें

डॉ. पूनम अग्रवाल
सहा. अध्यापिका हिन्दी विभाग, रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद बिजनौर (उ.प्र.) भारत

I प्रस्तावना

देश के संर्वागींण विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत तत्व है। एक शिक्षित और एक अशिक्षित व्यक्ति के बीचे के अन्तर को देखकर हम मनुष्य जीवन में शिक्षा की आवश्यकता और महत्ता का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। मनुष्य की औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आयु सीमा निर्धारित होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह आयु सीमा कम से कम 3 वर्ष है। यह वह शिक्षा होती है जिसे हम किसी संस्थान में प्रवेश कर निश्चित पाठ्यक्रमों के आधार पर प्राप्त करते हैं परन्तु अनौपचारिक शिक्षा जन्म से ही आरम्भ हो जाती है। दिन प्रतिदिन बच्चा कुछ नया सीखता है और अपने व्यवहार में लागू करता है। औपचारिक शिक्षा से व्यक्ति का बौद्विक विकास होता है। उसकी वैचारिक क्षमता तथा कार्यकुशलता में वृद्वि होती है। प्राचीन काल में हमारे देश में गुरूकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। समय के साथ परिवर्तन होते गये और आज हम मैकाले शिक्षा प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं परन्तु इस शिक्षा प्रणाली ने केवल लोगों का अंग्रेजी के प्रति रूझान को बढ़ाया है। आजादी के 73 वर्ष बाद भी हम शिक्षा के क्षेत्र में उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाये जो देश के तीव्रतर विकास के लिए आवश्यक है। प्रचलित शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करने, शिक्षण कार्य को और अधिक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। सन् 2019 में इस शिक्षा नीति का मसौदा (प्रारूप) सर्कुलेट किया गया था तथा अनेक शिक्षाविदों से सुझाव मांगे गये थे। सन् 2020 में यह नीति आयी। सन् 2021 में शिक्षा सम्बन्धी कुछ क्षेत्रों में यह नीति देश के लगभग सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों में लागू की जा रही है। सत्र 2021–22 का शैक्षणिक कार्य इस नीति के अनसुार संचालित किया जायेगा।

सुचारू रूप से शैक्षणिक कार्य के संचालन के लिए शिक्षक एक महत्तवपूर्ण एवं आवश्यक घटक है। शिक्षक वह शक्ति है जो देश के विभिन्न व्यवसायों को विकसित एवं पोषित करता है। भारत एक युवा देश है परन्तु अधिकांश युवा अकुशल एवं बेरोजगार है। देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान शून्य है। आज हमें एक ऐसी जीवंत शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो अधिक रोजगार परक, अनुसंधानात्मक एवं कौशल विकास में सहायक हो। शिक्षा का उददेश्य तभी पूर्ण होगा जब हमारे पास योग्य शिक्षक हो। शिक्षक यदि अपने कार्य में दक्ष है और पूर्णतः समर्पित है तो ससांधनों के अभाव में भी वह शिक्षण कार्य पूर्ण कर सकता है। बॉलीवुड फिल्म 'सुपर 30' इस बात का जीवन्त उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। नया शिक्षक बिना किसी अद्यतन संसाधन के बच्चों को पढ़ाता है और सफलता के शिखर पर पहुँचता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी लगभग इसी विज़न को लेकर चली है। इसमें शिक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि तथा उनकी नियुक्ति, पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से अनेक प्रावधान किये गये हैं। आज शिक्षा को तकनीक से जोड़ना परमावश्यक हैं। ऑनलाइन क्लासेज़ दूर बैठे विद्यार्थी की शिक्षा तक पहुँच आसान बना देती है। नई शिक्षा नीति 2020 की धारा 13.2 के अनुसार शिक्षण संस्थानों में तकनीकी उपकरणों का पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिए ताकि शिक्षणकार्य और भी अधिक प्रभावशाली हो सके।

वर्तमान में ''उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों का प्रदर्शन अनुसंधान और सेवा काल के मामले में औसत से बहुत कम है।''[1] प्रत्येक संकाय सदस्य अपने छात्रों और संस्थान से प्रसन्नतापूर्वक जुड़े तथा कार्य प्रगति के प्रति उत्साहित हो उसके लिए शिक्षक को अनुकूल शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। शिक्षा के बुनियादी कदम के रूप में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्वच्छ पेयजल स्वच्छ शौचालय, ब्लैक बोर्ड, उपयुक्त एवं आवश्यक शिक्षण सामग्रियाँ, पुस्तकालय, पर्याप्त उपकरणों से युक्त प्रयोगशालायें, सुखद कक्षा वातावरण और परिसर जैसी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए साथ ही प्रत्येक कक्षा में नवीनीकरण शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए (**नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, Clause 13.2**)

II शिक्षक सम्बन्धी प्रावधान

शिक्षक अपने संस्थान, छात्र और वातावरण से अधिक घनिष्ठता से जुड़ सके इसके लिए शिक्षकों के अनावश्यक स्थानानतरणों पर भी रोक लगाने का इस नीति में प्रावधान किया गया हैं साथ ही छात्र–शिक्षक अनुपात अधिक ना हो इस बात का ध्यान रखा जायेगा। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार पाठ्यपुस्तकों का चयन तथा असाइनमेंट और आकलन की प्रक्रियाओं तथा पाठ्यक्रम संबधी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने के लिए स्वतन्त्र होगें। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सकांय सदस्यों की नियुक्ति संबधित प्रक्रिया को ओर अधिक पारदर्शी बनाये जाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी साथ ही एक फास्ट ट्रैक पदोन्नति प्रणाली सुनिश्चित की जायेगी ताकि प्रभावी अनुसंधानों को मान्यता प्रदान की जा सके। प्रत्येक संस्थान को संस्थागत विकास योजना चलानी होगी जिसमें शिक्षक के कार्यो के उचित मूल्यांकन, कार्यकाल निर्धारण, पदोन्नति, वेतन में वृद्वि, सहकर्मी तथा छात्र समीक्षा, शिक्षण में नवाचार, शोध की गुणवत्ता एवं प्रभाव तथा व्यवसायिक विकास, संस्थान व समाज से जुड़ी गतिविधियों के आकलन हेतु उचित मापदण्ड युक्त प्रणालियों का स्पष्ट निर्देश किया जाएगा। **(Clause 13.6)** उच्चतर शिक्षा संस्थान की उत्कृष्टता एवं नवाचार में वृद्वि हेतु उत्कृष्ट एवं उत्साही नेतृत्व की सदा आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समय रहते संकाय सदस्यों के उच्चतर अकादेमिक और सेवा क्रेडेंशियल्स के साथ–साथ नेतृत्व और प्रबंध कौशल को

पहचानकर उन्हें नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पदो पर नियुक्त करते हुए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में वे कुशल नेतृत्वकर्ता के दायित्व का निर्वाह कर सके। **(Clause 13.7)**

आज भी अनेक स्थान ऐसे है जहाँ शिक्षक तथा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का अभाव है ऐसे व्यक्तियों और समुदायो को प्रतिकूल परिस्थितियों से निकालकर सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस प्रकार उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा नवीनतम शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान किये जायेगें। इस नीति के लागू होने पर एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि शिक्षक को ऐच्छिक अथवा एनैच्छिक रूप से निरन्तर गतिशील एवं क्रियाशील रहना होगा वरना नौकरी सम्बन्धी वेतन वृद्वि, पदोन्नति जैसे लाभों से वंचित होना पड़ेगा। देश के प्रत्येक नागरिक तक समुचित शिक्षा पहुँचाने के साथ–साथ योग्य शिक्षकों का निर्माण भी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण, ज्ञान के साथ–साथ अभ्यास भी परमावश्यक होता है। अध्यापक को शिक्षण प्रक्रियाओं की अद्यतन प्रगति के साथ साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं एवं परम्पराओं आदि के प्रति भी जागरूक होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा आयोग (2012) के अनुसार भारत में लगभग 10,000 से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान कार्य कर रहें हैं परन्तु व्यापक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इनका उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। नई शिक्षा नीति के क्लाज (धारा) 15.3 के अनुसार निम्नस्तरीय अध्यापक शिक्षा संस्थानों को सुधार के लिए एक वर्ष का समय दिया जायेगा। उसके बाद उन संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडो को पूरा नहीं कर पायेंगे। इस नीति द्वारा वर्ष 2030 तक शैक्षिक रूप से सुदृढ, बहु विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन का ही लक्ष्य रखा गया है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को बहुविषयक संस्थानों में आयोजित किया जाएगा 4 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों की न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षण– अधिगम प्रक्रियाओं की पूर्ति, सुदृढ़ीकरण और विस्तार की व्यवस्था की जाएगी।

III शिक्षा मे तकनीकी उपयोग

संकाय संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन में प्रौद्योगिकी का सकारात्मक प्रयोग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयम्/दीक्षा जैसे प्रोद्योगिकी प्लेटफॉर्म के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कम समय में अधिक से अधिक शिक्षकों को मानकीकृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान भारत सरकार प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पहलों का समर्थन एवं संवर्द्धन कर रही है। सूचना प्रोद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्याधिक लाभदायक शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग अनुकूल परिणामों का संवाहक है। कक्षा में और कक्षा के बाहर तकनीकी का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए ही लाभदायक है। वर्तमान में जब पूरा विश्व लगभग एक वर्ष से अधिक समय से पूरा विश्व कोविड–19 की महामारी से जूझ रहा है प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यदि हमारे पास प्रौद्योगिकी विकल्प के रूप में न होती तो सारा काम काज ठप्प पड़ जाता। प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभायी है। इस आधुनिक प्रणाली ने छात्रों और शिक्षकों के बीच एक फ्रैंडली वातावरण बनाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से यह व्यवस्था की जायेगी कि संस्थानों में शिक्षण कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में संचालित हो। प्रौद्योगिकी शिक्षा को कई मायनों में प्रभावित करेगी। अतः शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग एवं एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा। विद्यालयी एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्र में शिक्षण मूल्याकंन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी पर विचार विमर्श के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एन.ई.टी.एफ) का निर्माण किया जाएगा जिसका कार्य होगा।

(क) शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्विक एंव संस्थागत क्षमता का निर्माण,

(ख) केन्द्र एवं राज्य सरकारो तथा अन्य हितधारकों को नवीनतम ज्ञान सम्बन्धी परामर्श उपलब्ध कराना।

(ग) इस क्षेत्र में कार्यो की प्रभावशाली रणनीति बनाना तथा

(घ) अनुसंधान एवं नवाचार के लिए दिशायें स्पष्ट करना।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम और आकंलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों के व्यवसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुँच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबन्धन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना आदि। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी स्तरों पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किये जायेगें और उन्हें उपलब्ध कराये जायेगें। ये सभी सॉफ्टवेयर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगें। जब 1986/1992 में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी उस समय प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में इतना अधिक हस्तक्षेप नहीं था। उस समय नीति निर्माणकर्ता शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की सम्भावनाओं से परिचित नहीं थे। वर्तमान शिक्षा नीति का दौर कृत्रिम बुद्विमत्ता, 3डी/7डी वर्चुअल रिएल्टी जैसी परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का युग है। ऐसे समय में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो इन तीव्र युगांतरकारी परिवर्तनों का सामना करने में समर्थ हो साथ ही विद्यार्थियों को तेजी से प्रतिस्पर्धा होती दुनिया में अपने को प्रमाणित करने योग्य बना सके।

IV शिक्षक सम्बन्धी सम्भावनायें

आज शिक्षण कार्य एक चुनौती बनकर उभर रहा है। शिक्षकों को लेकर समाज में अनेक धारणायें बन गयी है जैसे शिक्षक कुछ नही करते, वेतन मोटा पाते हैं। यदि आप किसी और व्यवसाय में न जा सको तो शिक्षक बन जाओं। इन धारणाओं के चलते समाज में शिक्षक के प्रति आदर भाव में भी कमी आयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समाज की इस धारणा को नकारते हुए शिक्षकों के सम्मान को पुनः स्थापित करने मे सहायक होगी। अब यदि शिक्षण कार्य को अपनी आजीविका का माध्यम बनाना है तो पहले से ही निश्चित कर अपनी योग्यता को उसी के अनुसार बनाना होगा। अभी तक एक बार नौकरी लगने पर वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति हो जाती थी परन्तु अब पदोन्नति और वेतन वृद्वि के लिये भी वरिष्ठता के साथ साथ अन्य निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। शिक्षक को यह समझना होगा कि शिक्षा निरन्तर सीखने की प्रक्रिया का नाम है। शिक्षक को बहुविषयक होना होगा तथा अपने को शिक्षण सम्बन्धी प्रत्येक गतिविधि में अद्यतन रखना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शिक्षक बनना है तो शिक्षक के दायित्वों को भी पूर्णतः निभाना होगा दायित्वों की अनदेखी उनके भविष्य निर्माण में बाधक बन सकती है।

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के बड़े विजन को लेकर चली है शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक गतिविधि और घटकों का पूरा ध्यान रखा गया है, परन्तु यदि शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक के समक्ष चुनौतियाँ बढ़ जायेगी। शिक्षकों को पदोन्नति के लिए जो स्कोर एकत्र करने हैं उनमें सहकर्मियों व छात्रों की समीक्षा भी शामिल है। यदि किसी शिक्षक की अपने सहकर्मियों से नही बनती है तो वह शिक्षक के विषय में अच्छी टिप्पणी क्यों देगा। अभी तक शिक्षक को केवल हैड की ही चापलूसी करनी पड़ती थी पर अब सहकर्मी का भी ध्यान रखना होगा। इस नीति के चलते शिक्षक का ध्यान पढ़ाने में कम अपनी पदोन्नति के लिए स्कोर इकट्ठा करने में अधिक होगा क्योंकि उसे संस्थान एवं समाज सम्बन्धी गतिविधियों में भाग भी लेना है छात्र एवं सहकर्मियों के साथ समायोजन भी करना है तथा नवाचार और अनुसंधान सम्बन्धी कार्य भी करना है। संस्थानों में यदि कोई शिक्षक नेतृत्व की क्षमता रखता है तो उसे कौन सही मायने में पहचान कर आगे बढायेगा। यहाँ पर यह सम्भवतः आपसी व्यवहार ही काम आयेगा। यदि शिक्षक को स्थानान्तरण की सुविधा नहीं होगी तो क्या अपनी सुविधानुसार संस्थान चुनने की अनुमति होगी। शिक्षक को स्वयं को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्यतन रखने के लिए समय–समय पर कार्यशालाओं, सभाओं आदि में भी भागीदारी करना आवश्यक होगा। सभी गतिविधियों में प्रतिभाग करते हुए शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना शिक्षक के लिए बड़ी चुनौती है। इस नीति को लेकर अनेक अटकलें लगायी जा रही है परन्तु जैसे–जैसे कार्यान्वन होगा सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जायेगें।

V निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है शिक्षण संस्थानों में प्रेरित सक्रिय और सक्षम संकाय की उपलब्धता तथा शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, शिक्षकों की भर्ती की उत्कृष्ट एवं पारदर्शी व्यवस्था, निरन्तर व्यवसायिक विकास तथा सकारात्मक कार्य वातावरण तैयार करना। इस नीति का विजन है भारतीय मूल्यों से विकसित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्चतर गुणवतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये तथा शिक्षक एवं छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करे।

सन्दर्भ

[1] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पृष्ठ नं0 68

[2] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :www.education.gov.in